(1)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (कैंप भोपाल)

(104)

01
20/10/16

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

ईमला बाई जौजे नंदन जाति गौड नि.उ.- 3710-PB/16

निवासी पिपरिया (भीमपुर) तहसील भैसदेही

जिला बैतूल म.प्र. --- पुनरीक्षणकर्ता.

बनाम

श्री मोनल हर्षे
अधिवक्ता, होशंगाबाद
द्वारा आज दिनांक
20/10/2016 को
प्रस्तुत।
20/10/16

कुंजीलाल पिता टुकडू जाति गौड

निवासी कुंडबकाजन तहसील भैसदेही जिला बैतूल --- गैर अपीलार्थी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

24-10-16

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 81/सी/वर्ष 2011-12 मे पारित आदेश दिनांक 22.1.2015 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है। पुनरीक्षणकर्ता को नायब तहसीलदार टप्पा भीमपुर द्वारा एक नोटिस प्रदान किया गया तब पुनरीक्षणकर्ता पेशी पर दिनांक 28.7.16 को उपस्थित हुआ तब इसको सूचना के पश्चात पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा अपील के बारे मे जानकारी अपने अधिवक्ता से ली गयी तब अधिवक्ता के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को

2....

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3710–पीबीआर / 16 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–12–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–1–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 20–10–2016 को लगभग एक वर्ष दस माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई । विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र एवं तर्क के दौरान यह आधार लिया गया है कि आवेदक को गठियाबाय हो जाने के कारण अत्यधिक दर्द था, और वह चलने–फिरने में असमर्थ था, इसलिए अपर आयुक्त के न्यायालय में सम्पर्क नहीं कर सका, जो कि विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	